

कायालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महोबा

शासनादेश संख्या ७/४/७१ का दिनांक २० मई १९७८ के अनुरूप

विकलांग प्रमाण-पत्र

क्रमांक सं.

02/430/23-05-2012

दिनांक २३-०५-२०१२

प्रमाणित किया जाता है कि कु०/श्री/श्रीमती अर्चना देवी

उम्र लगभग २० वर्ष आत्मज/पली/पुत्री श्री रमेश चन्द्र

निवासी झारी खुट्टी तहसील लखनऊ जिला मध्यप्रदेश
(उ०प्र०), जिनका दा०नि०आ०/बा०नि०आ० नीचे प्रमाणित है।

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि इससे पूर्व मेरा विकलांग प्रमाण पत्र कहीं से निर्गत नहीं हुआ है। निर्गत हुआ है जिसकी छायाप्रति/मूलप्रति साथ में संलग्न है। मैं गूल रूप से जनपद महोबा का निवासी हूँ। यह प्रमाण पत्र कानूनी रूप से विधिमान्य नहीं होगा।

राशन कार्ड नं० ५५६५५५


अर्चना देवी

हस्ताक्षर आवेदक
बायें/दायें अंगूठे का निशान

प्रमाणित किया जाता है कि सावधानी पूर्वक निरीक्षण उपरान्त कि कु०/श्री/श्रीमती Archana Devi
R.R.P. Left lower limb. with swelling of
Middle रोग से ग्रसित है।

विकलांग का प्रतिशत 50% (diff. H)

ये भी प्रमाणित किया जाता है कि ये समाज के विकलांग व्यक्ति हैं।
प्रार्थी के अंगूठा निशान दायां/बायां



R.T.O. of Archana.

23/05/12

Arup

23/05/12

पहचान चिन्ह -

Black mole on one

हस्ताक्षर Arup of Meek.

नेत्र रोग विशेषज्ञ

हस्ताक्षर

आर्थोपेडिक सर्जन

Arup

23/05/12

हस्ताक्षर

ई०एन०टी० सर्जन

Arup

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद-मध्यप्रदेश(उ०प्र०)



23/05/12
हस्ताक्षरी
देवा(उ०प्र०)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
महोबा